परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों के अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

संबंधित अधिकारियों के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों के गुणवत्तापूर्ण सम्पादन एवं इस हेतु आवश्यक पूर्ण निगरानी एवं सतत निरीक्षण के सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त एवं इन मूल कर्तव्यों की अनदेखी किये बिना इन अधिकारियों के कर्तव्य, कार्य, एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :–

1. पी.आई.यू.के उपयंत्री (सब इंजीनियर) कर्तव्य, कार्य, जिम्मेदारियां

कार्यस्थल पर नियुक्त कनिष्ठ यंत्री संस्था का प्रथम अधिकारी होगा जो कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सहायक प्रबंधक एवं महाप्रबंधक के निदेंशानुसार सलाहकार एवं ठेकेदार के कार्य का निरीक्षण करेगा । वह सहायक प्रबंधक एवं महाप्रबंधक को पूर्णतः जबाबदेह रहेगा एवं उनके निर्देशानुसार समस्त कायों का संपादन करेगा । उपयंत्री के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :–

1. आवश्यक आंकड़े एकत्रित करना, सवेंक्षण करना, जांच करना एवं जहां आवश्यक हो अपने उच्चाधिकारियों के निदेंशानुसार कार्य के मूल्य अनुमान पत्रक एवं मानचित्र तैयार करना ।
2. सहायक प्रबंधक अथवा महाप्रबंधक के अनुमोदन के बाद ही किसी भी मद में धनराशि खर्च करना ।
3. निर्माण कार्य से पूर्व जब सलाहकार द्वारा कार्यस्थल की भूमि के शुरुआती / प्राथमिक तल की उॅचाईयाँ नापकर लिपिबद्ध की जाती है उस समय उपस्थित रहकर समतल आंकड़ों को प्रमाणित करते हुए समतल लेखों पर हस्ताक्षर कर उसकी एक प्रति महाप्रबंधक की ओर अग्रेषित करने हेतु सहायक प्रबंधक को प्रस्तुत करना ।
4. अपने अधीन चल रहे निर्माण कार्यो का निर्धारित मानदंडों के अनुसार एवं दिये गये तकनीकी तथा अन्य निर्देंशों अनुसार संपादन सुनिश्चित करना तथा यह देखना कि ठेके के नियमों एवं शतों का ठीक से पालन हो ।
5. निर्माण कार्य ठेकेदार को दिये गये कार्यक्रम एवं समय सारणी के अनुसार पूर्ण करवाना एवं यदि कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न हो रहा हो तो उसकी लिखित सूचना तत्काल सहायक महाप्रबंधक को देना ।
6. निर्माण कार्य से संबंधित ठेकेदार एवं सलाहकार के साथ हुए अनुबंध पत्रों की समस्त शर्तो एवं अन्य बिंदुओं को आत्मसात करना एवं यह सुनिश्चित करना कि ठेकेदार एवं सलाहकार अनुबंध पत्रों में निर्धारित शर्तो के अनुसार अपने कर्तव्य एवं कार्य का संपादन कर रहे हैं । उनके द्वारा अनुबंध पत्र से हटकर कोई कार्य करने अथवा किसी शतों / निदेर्शो का पालन न करने की स्थिति में तत्काल सहायक प्रबंधक एवं महाप्रबंधक को लिखित सूचना देना ।

7. सलाहकार द्वारा दिये गये लेआऊट / की जांच करना एवं यदि उनमें कोई कमी अथवा गलती हो अथवा बदलाव की आवश्यकता प्रतीत हो तो तदनुसार सलाहकार, ठेकेदार सहायक प्रबंधक को सूचित करना एवं अपने उच्चाधिकारियों के निदेंशानुसार उनमें सुधार करवाना ।

8. यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक संपत्ति एवं जनसेवा साधनों को काई क्षति न पहुंचे एवं उनका अनाधिकृत / बिना अनुमति उपयोग न हो । जहां सार्वजनिक संपत्ति अथवा साधनों का उपयोग आवश्यक हो वहां सहायक प्रबंधक अथवा महाप्रबंधक से निदेंश प्राप्त करना ।

9. यह देखना कि ठेकेदार अनुबंध के अंतर्गत दिये गये कार्य के निष्पादन हेतु किसी भी प्रकार के खनिज संसाधनों का गैरकानूनी ढंग से उपयोग न करे ।

10. निर्माण कार्य के दौरान यातायात अवरोधित न हो यह सुनिश्चित करना ।

11. यह सुनिश्चित करना कि सलाहकार एवे ठेकेदार के प्रतिनिधि निर्धारित समयावधि एवं मानदण्डों के अनुसार समय–समय पर गुणवत्ता नियंत्रण जांच करें । यदि इस कार्य में कोई भी कमी पायी जाती है तो उसकी सूचना तत्काल सहायक प्रबंधक को देना ।

12. यह देखना कि सलाहकार एवं ठेकेदार के प्रतिनिधि कार्यस्थल / प्रयोगशाला में उपस्थित हों एवं अपना अपना कार्य आदेशानुसार करें । अनुबंध पत्र में सूचिबद्ध सलाहकार अथवा ठेकेदार का कोई कर्मचारी / यंत्री कार्यस्थल से गैरहाजिर हो अथवा अपना कार्य ठीक से न करे तो उसकी सूचना तत्काल सहायक प्रबंधक को देना ।

13. यह सुनिश्चित करना कि सलाहकार एवं ठेकेदार द्वारा कार्य पर लागू श्रम कानून एवं अन्य संबद्ध कानूनों / नियमों का पूर्ण पालन किया जावे । श्रमिकों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है अथवा नहीं इसकी जांच / सत्यापन करना एवं श्रम अथवा अन्य संबंद्ध कानून / नियमों का कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर उसकी सूचना सहायक प्रबंधक को देना ।

14. ठेकेदार सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रगति पत्रक एवं कार्य समापन पत्रक की जांच / सत्यापन करना एवं सहायक प्रबंधक को सूचित करना ।

15. सलाहकार द्वारा प्रस्तुत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के देयकों की जांच कर सत्यापन करना । सलाहकार द्वारा प्रस्तुत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यो के देयकों का सत्यापन करना । देयक जमा करने के दो सप्ताह के भीतर 25 % नाप–जोख का सत्यापन करना । सलाहकार द्वारा प्रस्तुत देयकों की दरों का आंकलन व गणना का मूल्य अनुमान पत्रक से मिलान कर सत्यापित करना ।

16. नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट सहायक प्रबंधक को प्रस्तुत करना । वह अपने दौरा कार्यक्रम इस तरह से बनायें की कार्यस्थल पर निम्न कायों के संपादन के समय उपस्थित रहें ।

    I. मिट्टी के कार्य
    II. सबबेस
    III. डब्ल्यू.बी.एम. की सभी तीन ग्रेड
    IV. बिटुमन के सभी कार्यो की प्रक्रिया के दौरान

V. पुल पुलियों की खुदाई एवं कांकरीटिंग के दौरान व

VI. बाकी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाऐं एवं समय–समय पर अधिकारियों द्वारा निदेंशन कार्य

17 वह अपने दौरे का कार्यक्रम महाप्रबंधक से अनुमोदित करायेगा ।

18 अपने दौरो/निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करे कि बिट्यूमन का तापमान हॉटमिक्स प्लांट तथा लगाने/बिछाने के पहले दिये गये मापदण्डों के अनुसार रखा गया है ।

19 किसी भी दुर्घटना/आपदा के समय तत्काल पास के पुलिस स्टेशन, सहायक प्रबंधक एवं महाप्रबंधक को स्थिति की रिपोर्ट करें ।

20 यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर सलाहकार, ठेकेदार द्वारा मजदूरों एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किये गये है ।

21 वह सड़क के रखरखाव का समय–समय पर निर्धारित अन्तराल व बरसात के बाद निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट तथा सुधारों के बारे में सहा प्रबंधक के द्वारा महाप्रबंधक को प्रेषित करेगा ।

22 रखरखाव के दौरों के दौरान यह ध्यान रखेगा कि सड़क कहीं से टूटी तो नही है तथा जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया गया ।

23 महाप्रंबधक/सहायक प्रबंधक द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा ।

24 कनि. यंत्री कार्यस्थल पर नियुक्त प्रथम अधिकारी है इसलिए वह पहले के ख्ण्डों में बताये गये सभी कायों के निष्पादन आदि के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा ।

25 कनि. यंत्री अथवा सहा प्रबंधक कायों में संपादित ऐसे कार्य, जिनका माप कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् लिया जाना संभव नहीं है, की शत् –प्रतिशत नाप–जोख करेंगे ।

2. <u>पी.आई.यू.के सहायक प्रबंधक के कर्तव्य, कार्य एवं जवाबदारियां ।</u>

सहायक प्रबंधक सड़क निर्माण के एक या अधिक जिलों / पैकेजों का प्रभारी है । वह पी.आई.यू.के महाप्रबंधक के दिशा निदेंशों के अंर्तगत कनि. यंत्री की सहायता से ठेकेदार व सलाहकार के कायों का निरीक्षण करेगा । वह महाप्रबंधक (जी.एम.) को पूर्णतः जबाबदेह रहेगा एवं उनके आदेशानुसार समस्त कायों का संपादन करेगा । प्राथमिकता के आधार पर सहायक प्रबंधक के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे ।

1. वरिष्ठ अधिकारियों के निदेंशानुसार कनि. यंत्री की सहायता से परियोजना / स्कीम का परीक्षण एवं त्ृफतीश कर, मूल्य अनुमान पत्रक एवं रेखाचित्र बनाना।

2. कोई भी नवीन कार्य का आरंभ और या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय वरिष्ठ अधिकारियों के बिना पूर्वानुमति के नहीं कर सकेगा।

3. वह यह सुनिश्चित करें कि सलाहकार द्वारा निर्धारित लेवलस् के अनुसार कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व या उस समय पर वह स्वंय या उसका उपयंत्रीयंत्री वहॉ उपस्थित रहें। कनि. यंत्री की उपस्थिति में लिये गये लेवलस् की नमूना जांच करेगा। वह लिये गये सभी प्राथमिक लेवलस् के रिकॉर्ड को हस्ताक्षर कर, एक प्रति महाप्रबंधक को जमा करेगा।

4. सलाहकार द्वारा मिट्टी के किये गये वर्गीकरण की जांच कर उसमें पाई गई खामियों को सही करेगा और उसकी जानकारी महाप्रबंधक को देगा।

5. यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कार्यक्षेत्र में होने वाले सभी कार्यो का निष्पादन दिये गये विनिर्देशनों एवं तकनीकी निर्देशानुसार है । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि ठेके की सभी शर्तों का सही पालन हो रहा है या नहीं और किसी भी अंतर की स्थिति में महाप्रबंधक को सूचित करेगा।

6. सलाहकार एवं ठेकेदार के ठेके की सभी शर्तों की पूरी जानकारी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह सभी अपने जिम्मेदारियों एवं कार्यो का अनुबंध के अनुसार निष्पादन करे । किसी भी अंतर की स्थिति में महाप्रबंधक को सूचित करेगा ।

7. सलाहकार द्वारा दिये गये ले आउट का नमूना परीक्षण करना ।

8. सड़क के बनाने में आने वाली भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण में सहायता करना एवं जरुरत पड़ने पर सड़क बनाने के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना ।

9. सलाहकार अथवा ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी / इंजीनियर की अनुपस्थिति या सही ढ़ग से कार्य ना करने की स्थिति में महाप्रबंधक को तत्काल सूचित करे । पाई गई किसी भी कमी को तुरंत सही करावे व महाप्रबंधक को सूचित करे ।

10. अपने दौरों के दौरान यह परीक्षण करे कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है न्यूनतम मजदूरी नही दिये जाने की स्थिति में महाप्रबंधक को सूचित करे। यह सुनिश्चित करे कि ठेकेदार एवं सलाहकार श्रमिक कानून एवं लागू कानूनों का पालन करें ।

11. सलाहकार द्वारा प्रस्तुत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यो के देयकों के नाप–जोख का 10 % सत्यापन देयक जमा करने के दो सप्ताह के भीतर करना ।

12. समय – समय पर ठेकेदार की प्रयोगशाला में उपयोग में लायी गई संतोषप्रद सामग्री के परीक्षण परिणामों की जांच करना । परिणाम संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में अपने महाप्रबंधक की जानकारी में लाते हुए किस अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में जांच करवा सकता है ।

13. जांच उपकरणों एवं दूसरे उपकरणों की समय–समय पर निकटस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्था में जांच करवाना ।

14. अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्यो का महाप्रबंधक के दिशा निर्देशानुसार निरीक्षण करना । वह अपने दौरा कार्यक्रम इस तरह से बनायें कि प्रत्येक सड़क निर्माण में होने वाली निम्न प्रक्रियाओं के दौरान कम से कम एक बार उपस्थित रहे ।

    I. मिट्टी दबाने के कार्य के समय

II. बजरी दबाते समय

III. डब्ल्यू.बी.एम. की प्रत्येक परत को दबाते समय

IV. बिटुमन कार्य सभी कार्यो की प्रक्रिया के दौरान

V. पुल पुलियों की खुदाई एवं लोहा बंधाई कांकरीटिंग तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के दौरान

VI. सभी बनाये गये रिकार्ड की जांच कर प्रमाणीकरण/सत्यापन करना

15. किसी भी दुर्घटना / आपदा के समय तत्काल पास के पुलिस स्टेशन एवं महाप्रबंधक को स्थिति की रिपोर्ट करें ।

16. यह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल पर सलाहकार, ठेकेदार द्वारा मजदूरों एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम किये गये है ।

17. कार्य की प्रगति ठेकेदार द्वारा दिये गये समयावधि के अनुसार न होने की स्थिति में महाप्रबंधक को रिपोर्ट करे तथा जरुरत पड़ने पर निर्माण कार्य के कार्यक्रम को संशोधित कराये ।

18. यह सुनिश्चित करे कि सलाहकार द्वारा अगले चरण के कार्य के लिए सभी सामग्री एवं मशीनरी पूर्व से ही उपलब्ध कर ली गई है ।

19. सलाहकार / ठेकेदार द्वारा कार्यपूर्णता की रिपोर्ट का जमा करने के एक सप्ताह के अंदर सत्यापन करना।

20. रखरखाव की अवधि के दौरान समय–समय पर सड़क का निरीक्षण करे तथा उसमे पाई जाने वाली खामियों के सुधार का प्राक्कलन महाप्रबंधक को तुरंत प्रेषित करे ।

21. रखरखाव के दौरों के दौरान यह ध्यान रखेगा कि सड़क कहीं से टूटी तो नही है तथा जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया गया । जमीन से संबंधित मामलों में राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क करेगा ।

22. अपने दौरो / निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करे कि बिट्यूमन का तापमान हॉटमिक्स प्लांट तथा लगाने / बिछाने के पहले दिये गये मापदण्डों के अनुसार रखा गया है ।

23. महाप्रंबधक द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेंशो का पालन करेगा ।

24. सहायक प्रबंधक एक से अधिक जिले / पैकेजों के सड़क निर्माण का प्रभारी है इसलिए वह पूर्व के खण्डों में बताये गये सभी कायों के निष्पादन आदि के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा ।

3. <u>पी.आई.यू.के महाप्रबंधक के कर्तव्य, कार्य, जिम्मेदारियां ।</u>

महाप्रबंधक कार्य परियोजना का प्रभारी है । एक पी.आई.यू.के कार्यक्षेत्र में सड़क निर्माण के दो या अधिक जिले/पैकेजेस् हो सकते है । वह अपने सहायक प्रबंधक, उपयंत्री तथा अन्य सभी मातहत अधिकारियों की सहायता से सलाहकार एवं ठेकेदार दोनों से संपर्क में रहेगा । उसके कर्तव्य निम्नानुसार होगें:–

1. सलाहकार एवं ठेकेदारों की मासिक/जरुरत अनुसार बैठक का संचालन करना और कार्यक्षेत्र मे आई सभी प्रकार की रुकावटों, समस्याओं का समाधान करना तथा चालू व अगले महीने में होने वाले कार्यो की पूर्व समीक्षा करना ।
2. अपने सभी मातहतो के कार्यो को नियत करना तथा सहायक प्रबंधक एवं कनि यंत्री के दौरा कार्यक्रमों का अनुमोदन करना । अपने मातहतो के दौरे के दिनो का निर्धारण करना । अपने यूनिट के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक अधिकार रखेगा ।
3. सलाहकारों एवं ठेकेदारो के बिलो का परीक्षण कर निविदा की शर्तानुसार उचित दर से भुगतान करना । वह कार्य की प्रगति एवं जरुरतो को देखते हुए आवंटन की मांग करेगा ।
4. सहायक प्रबंधक एवं कनि यंत्री की सहायता से प्रोजेक्ट / स्कीमस् का सर्वे अनुसंधान तथा मूल्य अनुमान पत्रक एवं नक्शों को तैयार करायेगा ।
5. यह सुनिश्चित करेगा कि सलाहकार द्वारा कार्य शुरु करने के पहले लिये गये लेवलस् के समय सहायक प्रबंधक अथवा कनि यंत्री उपलब्ध रहें ।
6. अपने कार्यक्षेत्र के सभी कार्यो का समय–समय पर निरीक्षण करेगा । वह सड़क निर्माण की निम्न प्रक्रियाओं के दौरान उपस्थित रहेगा ।
   - I- मिट्टी कार्य तथा बजरी कार्य
   - II- डब्ल्यू बी एम की सभी तीनों स्थितियों में
   - III- बिट्यूमिनस कार्य के दौरान
   - IV- मार्ग की पुलियों के दौरान
   - V- 5 लाख व उससे अधिक लागत के सी/डी कार्यो के नींव स्तर के दौरान

7. सलाहकार एवं ठेकेदार के ठेके की सभी शतों की पूरी जानकारी रखेगा और कार्य निष्पादन के दौरान जानकारी में लाई जाने वाली किसी भी अनियमितता तथा सलाहकार अथवा ठेकेदार के ठीक तरीके से कार्य न करने के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करेगा ।
8. समय–समय पर कार्यो की परीक्षण जांच एवं अकस्मात् जांच करना ।
9. सलाहकार अथवा ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी / यंत्री की अनुपस्थिति या करारनामे के अनुसार कार्य न करने की स्थिति मे उनके खिलाफ करारनामे के अनुसार तुरंत कार्यवाही करेगा ।
10. ठेकेदार अथवा सलाहकार द्वारा किये गये श्रमिक अथवा अन्य कानूनो के उल्लंघन या न्यूनतम भत्ता नही देने की जानकारी मिलने पर करारनामे के अनुसार तुरंत कार्यवाही करेगा ।
11. सलाहकार द्वारा ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के दिये गये देयको के नाप–जोख का 5 प्रतिशत अंतिम भुगतान से पहले अपने मातहतो की सहायता से प्रमाणित करेगा ।

12. सलाहकार एवं ठेकेदारों द्वारा ठेकेदार की प्रयोगशाला में प्रमाणित सामान की गुणवत्ता की आकस्मिक जांच करेगा । जांच की रिपोर्ट संतुष्टिपूर्ण नही पाये जाने की स्थिति में वह नमूनों की जांच किसी दूसरी प्रयोगशाला में पुनः करा सकेगा जिसकी जानकारी वह अपने मुख्य महाप्रबंधक / प्राधिकरण को देगा ।
13. सहायक प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किसी सामान की जांच अथवा जांच उपकरणों के केलीब्रेशन किसी दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था से कराने की अनुमति प्रदान करना ।
14. अपने मातहतो की सहायता से यह निश्चित करना कि ठेकेदार एवं सलाहकारों द्वारा किये जा रहे सभी कार्य मोस्ट(MOST) एवं आई आर सी (IRC) के निदेंशानुसार हो रहे है तथा सभी तकनीकी एवं दूसरे आदेशो का पालन हो रहा है ।
15. सड़क निर्माण के दौरान जमीन की उपलब्धता की समस्या को कलेक्टर एवं कार्यपालन यंत्री / ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की सहायता से हल करेगा ।
16. किसी दुर्घटना अथवा मृत्यु के समय अपने निकटस्थ पुलिस स्टेशन तथा अपने मुख्य महाप्रबंधक को तुरंत सूचित करेगा ।
17. अपने मातहतो की सूचना अनुसार सलाहकार एवं ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों व सम्पत्ति की सुरक्षा के उपायों में खामियां पाये जाने की रिपोर्ट देने पर समुचित कार्यवाही करेगा ।
18. ठेकेदार की कार्य की प्रगति असंतोषप्रद पाये जाने की रिपोर्ट मिलने पर तत्काल कार्यवाही करेगा और जरुरत पड़ने पर कार्यक्रम को संशोधित करवायेगा ।
19. अपने निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार अथवा सलाहकार द्वारा अगले चरण के कार्य के लिए समुचित सामान एवं मशीनरी की व्यवस्था कर ली गई है ।
20. सड़क के रखरखाव के समय के दौरान साल में कम से कम एक बार हो सके तो बरसात के बाद सड़क का निरीक्षण करेगा । सड़क के सुधार के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी करेगा और करारनामे के अनुसार उसको ठीक करवाने की कार्यवाही करेगा ।
21. रखरखाव के समय के अंत में कार्यपालन की सुरक्षानिधि को वापस करने के पहले स्वयं सड़क का निरीक्षण करेगा ।
22. अपने दौरों के दौरान यह ध्यान रखेगा कि बिट्यूमन का तापमान हॉटमिक्स प्लांट तथा सड़क पर डालने से पहले विर्निदेशों के अनुसार रखा गया है ।
23. अपने मातहत अधिकारियों की जानकारी बढ़ाने और सड़क निर्माण की नई–नई प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए समय–समय पर कार्यशाला एवं सेमीनार का आयोजन करेगा ।
24. सलाहकार एवं ठेकेदारों को समयावधि में कार्यपूर्ण करने के लिए नोटिस जारी करेगा ।
25. मुख्य महाप्रबंधक / प्राधिकरण द्वारा दिये गये अन्य सभी निदेंशो का पालन करेगा ।
26. महाप्रबंधक पूरे प्रोजेक्ट का प्रभारी है इसलिए वह पूर्व में बताये गये सभी दिशा निदेंशो के पालन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा ।